यौन हिंसा से पीड़ितों के लिए

क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (दण्ड न्याय प्रणाली) से गुजरना क्या होता है तथा सहायता कैसे प्राप्त की जाए

यौन हिंसा एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके प्रभाव काफी ददर्दनाक और लम्बे समय तक चलने वाले होते हैं। हर व्यक्ति इसका सामना अपने तरीके से करता है, और उसे विभिन्न प्रकार की सहायता की जरूरत होती है।

चाहे आप अपराध की रिपोर्ट करते हैं या नहीं, आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आपके इलाके में ऐसी एजेंसियां हैं जो विशेषज्ञ, व्यावहारिक तथा भावनात्मक सहायता दे सकती हैं। अपने नज़दीक सहायता एजेंसियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप विक्टिम इन्फोर्मेशन लाईन को 0800 650 654 पर फोन कर सकते हैं। अगर आप अपराध की रिपोर्ट करते हैं तो आपको क्या सहायता मिल सकती है, यह फैक्टशीट (तथ्य पत्र) इस बारे में जानकारी देती है।

मुख्य सम्पर्कों और शब्दावली के लिए कृपया इस फैक्टशीट के अंत में देखें।

पीड़ित के अधिकार

आपको अधिकार है कि आपको बताया जाए कि आपकी सहायता के लिए क्या सहायता उपलब्ध है, अदालत में आपके केस की प्रगति के बारे में सूचित रखा जाए और अदालत में जाने पर आप क्या अपेक्षा कर सकते इस बारे में जानकारी दी जाए।

अपराध के कारण आप पर होने पर प्रभाव के बारे में अदालत को बताने का आपको अधिकार है। यदि आप किसी युवा व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के शिकार हुए हैं, तो आपको फैमिली ग्रुप कान्फ्रेंस (पारिवारिक समूह सम्मेलन) में भाग लेने और आप क्या कार्यवाही देखना चाहेंगे इस बारे में अपना मत देने का अधिकार है।

कुछ केसों में, आप या आपके प्रतिनिधि को नेम सप्रेशन (नाम दमन), जमानत, होम डिटेन्शन (घर निरोध) या पैरोल जैसी चीजों के बारे में अपना मत देने का अधिकार है।

आप अदालत के अधिकारियों, पुलिस और आपके केस में शामिल अन्य किसी भी व्यक्ति से शालीन, दयालु और आदरपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं। आपको गोपनीयता का पूरा अधिकार है।

अपने अधिकारों और आप किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए विक्टिम्स कोड (पीड़ित संहिता) को पढ़ें। यह अन्य उपयोगी जानकारी के साथ यह हमारी victimsinfo.govt.nz वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का ध्यान नहीं रखा गया है या आपको अपनी आशा के अनुसार सेवा नहीं प्राप्त हुई है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। victimsinfo.govt.nz वेबसाइट पर जाएं या विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाईन को 0800 650 654 पर फोन करें।

अपराध की रिपोर्ट करना

यदि आप हाल ही में यौन हिंसा के शिकार हुए हैं या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो 111 कॉल करें और पुलिस की मांग करें।

अगर अपराध कुछ समय पहले हो चुका है, चाहे कुछ साल पहले हुआ हो, तो भी आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। यौन हिंसा के अपराध की पुलिस को कब रिपोर्ट की जाए इसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। आप अगर अतीत में हुए अपराध की रिपोर्ट करने का निश्चय करते हैं, तो अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन को फोन करके डिटेक्टिव (गुप्तचर) से बात करने की मांग करें। अपराध की रिपोर्ट करते समय आप सहारे के लिए अपने साथ किसी को ले जा सकते हैं।

पुलिस के लिए सबसे पहली प्राथमिकता आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। एक बार आप जब अपराध की रिपोर्ट कर देते हैं तो आपके केस के लिए एक इंचार्ज पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जायेगा। कार्यवाही के बारे में जानने के लिए आप उनसे किसी भी समय सम्पर्क कर सकते हैं।

पुलिस एक स्पेशलिस्ट क्राइसिस रिस्पोन्स (विशेषज्ञ संकटकाल प्रतिक्रिया) एजेन्सी या विक्टिम सपोर्ट से भी सम्पर्क करेगी जो आपसे आगे क्या होगा इस बारे में बात करेंगे। स्पेशलिस्ट क्राइसिस रिस्पोन्स एजेंसी के कर्मचारियों को यौन हिंसा से पीड़ितों को सहायता देने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है और वे जाँच और कोर्ट केस के दौरान आपसे मिलकर काम कर सकते हैं।

अपने इलाके में अतिरिक्त सहायता एजेंसियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप विक्टिम इन्फोर्मेशन लाईन को 0800 650 654 पर फोन कर सकते हैं।

इन्वेस्टिगेशन (जाँच-पड़ताल)

यौन हिंसा की जाँच-पड़ताल बहुत ही गहरी होती है और पुलिस केस के लिए जितना हो सकेगा उतने सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। पुलिस की ओर से इंटरव्यू एक विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, और जो कुछ भी हुआ है उसकी सारी जानकारी लेने के लिए वे आपसे कई बार बात करने की मांग कर सकते हैं। आप महिला या पुरूष पुलिस अधिकारी से बात करने की मांग कर सकते हैं।

जाँच-पड़ताल की कार्यवाही के रूप में आपसे मेडिकल जाँच के लिए भी कहा जा सकता है। यह आपकी पसंद है। आप एक ऐसे डॉक्टर के पास जायेंगी जो यौन हिंसा से पीड़ितों के साथ काम करने में विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। इससे केस के लिए महत्वपूर्ण सबूत प्राप्त होते हैं। आप इस सारे समय के दौरान अपने साथ किसी को रख सकती हैं।

पुलिस आपसे तथा ऐसे अन्य किसी व्यक्ति से जिसे अपराध के बारे में कोई जानकारी है, के साथ बात करने के साथ-साथ सबूत के रूप में फोटो और फॉरन्जिक टैस्टों (न्यायिक जाँच) को भी इक्ट्ठा कर सकते हैं। अगर पुलिस के पास पर्याप्त सबूत होते हैं, तो वे गिरफ्तारी करेंगे और उस व्यक्ति को दण्डनीय अपराध के लिए चार्ज करेंगे।

बेल (जमानत)

एक बार जब किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उन्हें अदालत में हाजिर होने की जरूरत पड़ने तक रिहा किया जा सकता है। इसे बेल (जमानत) कहा जाता है। कभी-कभी उन्हें कुछ शर्तों का पालन करने की जरूरत पड़ सकती है जैसे कि उन्हे कहाँ निवास करने की जरूरत है और उन पर कर्फ्यू लगाना। अगर पुलिस को लगता है कि आप या समुदाय में अन्य लोगों को खतरा है, तो उस व्यक्ति को अदालत में हाजिर होने तक हिरासत में रखा जा सकता है, जब वे दुबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आप उस व्यक्ति के जमानत पर रिहा होने के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का चुनाव कर सकते हैं और आपको परिणाम की जानकारी दी जाएगी। आप विक्टिम नोटिफिकेशन (पीड़ित चेतावनी) रजिस्टर में शामिल होने का भी चुनाव कर सकते हैं ताकि सजा के बाद अपराधी को क्या होता है, इस बारे में आपको सूचित रखा जा सके। आपके ब्यौरे को गोपनीय रखा जाएगा। अगर आप चाहें तो अपनी ओर से किसी और को यह जानकारी लेने के लिए कह सकते हैं।

विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट (पीड़ित प्रभाव कथन)

आपसे पूछा जाएगा कि आप विक्टिम स्टेटमेंट देना चाहते हैं या नहीं। इसमें अदालत को यह बताया जाता है कि अपराध का आप पर क्या प्रभाव पड़ा है। आपके केस का इंचार्ज पुलिस अधिकारी, विक्टिम सपोर्ट या अन्य सहायता एजेंसी आपकी यह स्टेटमेंट लिखने में सहायता कर सकते है। अपने विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट के बारे में अधिक जानकारी के लिए *फैसला और सजा* के अन्तर्गत देखें।

कभी-कभी, जाँच-पड़ताल चाहे कितनी भी संपूर्ण क्यों न हो, पर्याप्त सबूत न होने की वजह से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती या केस को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप पर विश्वास नहीं किया गया था।

सपोर्ट (सहायता)

अपने केस की जाँच-पड़ताल के दौरान आप सहायता ले सकते हैं। भावनात्मक सहारे या व्यावहारिक चीजों के लिए सहायता (जैसे कि बीमे के बारे में पता लगाने) के लिए अपने इलाके में अन्य सहायता एजेंसियों का पता लगाने के लिए विक्टिम सपोर्ट को 0800 842 846 नम्बर पर या विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाईन को 0800 650 654 नम्बर पर फोन करें।

युवा अपराध

अगर अपराध किसी 17 साल से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा किया गया है तो मामले को यूथ जस्टिस सिस्टम (युवा न्याय प्रणाली) के जरिए अलग तरीके से निपटाया जाएगा। पीड़ित युवा न्याय प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं तथा आपको फैमिली ग्रुप कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने का अधिकार है।

चाइल्ड, यूथ एन्ड फैमिली (CYF) और कोर्ट में युवा न्याय प्रणाली के बारे में विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। CYF से एक फैमिली ग्रुप कोओरडिनेटर (पारिवारिक समूह समन्वयक) आपसे सम्पर्क करेंगे।

आर्थिक सहायता

अपराध से सम्बन्धित कुछ खर्चों को कवर करने में मदद के लिए आपको आर्थिक ग्रांट (अनुदान) उपलब्ध हैं। आपको ग्रांट मिल सकती है या नहीं, इस बात की जाँच करने और इसके लिए आवेदन कैसे किया जाए यह जानने के लिए, विक्टिम सपोर्ट को 0800 842 846 पर सम्पर्क करें।

- यौन हिंसा के परिणामस्वरूप होने वाले खर्चों, जैसे कि तालों की मरम्मत, कपड़ों का बदलाव या अस्थायी आवास के लिए 500 डॉलर तक की ग्रांट का दावा किया जा सकता है।
- यौन हिंसा के पीड़ितों और उनके अवैतनिक सहायक व्यक्तियों को अदालत की कार्यवाही में भाग लेने के लिए 100 डॉलर प्रतिदिन (50 डॉलर प्रति आधा दिन) की ग्रांट उपलब्ध है। पीड़ित बच्चे की जगह पर उनकी देखरेख करने वाले और उनके सहायक व्यक्तियों को अदालत में उपस्थित होने के लिए भी यह ग्रांट उपलब्ध है।
- गंभीर अपराध से पीड़ितों (जिसमें सारे यौन अपराध शामिल हैं) और उनके अवैतनिक सहायक व्यक्तियों द्वारा अदालत और पैरोल बोर्ड की सुनवाई में जाने के लिए यात्रा, आवास और सम्बन्धित खर्चों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध है।
- अंतिम उपाय के रूप में कम्युनिटी सर्विसिज़ कार्डधारियों को एमरजेंसी के रूप में 2000 डॉलर तक की राशि उपलब्ध है।

आपको एसीसी से भी आर्थिक सहायता मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए अपनी सहायता एजेंसी से बात करें, या एसीसी सैंसिटिव क्लेम्स हैल्पलाईन को 0800 735 566 फोन करें।

कोर्ट में

डिफेन्डेन्ट (वह व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है) शायद कोर्ट में कई बार उपस्थित होंगे, उदाहरण के तौर पर दोषी या निर्दोष होने का आवेदन करने के लिए या जज द्वारा केस के सबूतों को देखने के लिए। ऐसी संभावना नहीं है कि आपको इन सारी सुनवाईयों में उपस्थित होना पड़े, परन्तु अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं।

यदि अभियुक्त दोषी होने का निवेदन करता है, तो उन्हें उसी दिन सजा सुनाई जा सकती है, या सजा की सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की जा सकती है। यदि व्यक्ति निर्दोष होने का निवेदन करता है, तो केस ट्रॉयल के लिए जाएगा।

कोर्ट में, प्रोसिक्यूटर (अभियोक्ता) केस को जज एवं ज्यूरी के सामने पेश करेगा। प्रोसिक्यूटर सरकार के लिए काम करता है और सरकार, पुलिस तथा जनता की तरफ से केसों पर मुकदमा चलाने के लिए जिममेदार होता है। अभियुक्त के खिलाफ केस को साबित करने के लिए आपको सरकार की ओर से गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है (देखें गवाह बनना)।

प्रोसिक्यूटर आपसे मिलेंगे और आपको बतायेंगे कि क्या चार्ज लगाए जायेंगे और क्यों, तथा अदालत में क्या होने की संभावना है।

यौन हिंसा के केसों में, मीडिया को अपने आप ही आपका नाम या आपकी पहचान कर सकने वाले किसी भी ब्यौरे के बारे में रिपोर्ट करने की सख्त मनाही है।

अगर आपको सुनने, चलने-फिरने या भाषा अनुवाद के लिए सहायता चाहिए तो अपने यौन हिंसा पीड़ित सलाहकार, अपने केस के इंचार्ज पुलिस अधिकारी या अपने व्यक्तिगत सहायता कर्मचारी से बात करें।

आपकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी समय अदालत में अपनी सुरक्षा के बारे में चिन्तित हों, तो पुलिस अधिकारी या कोर्ट सुरक्षा अधिकारी से बात करें।

सैक्सुअल वायलैंस विक्टिम एडवाइज़र (यौन हिंसा पीड़ित सलाहकार)

यौन हिंसा से पीड़ित ऐसे विशेषज्ञ पीड़ित सलाहकारों का उपयोग कर सकते हैं जो यौन हिंसा के साथ काम करने के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी हैं।

यौन हिंसा पीड़ित सलाहकार अदालत की प्रणाली को समझायेंगे, यह समझने में मदद करेंगे कि क्या हो रहा है और कब, तथा आपको बतायेंगे कि अपराधी कब अदालत में पेश होंगे। आपके लिए सही सहायता ढूंढने में भी वे आपकी मदद करेंगे।

अधिक जानकारी के लिए विक्टिम इन्फोर्मेशन लाईन को 0800 650 654 नम्बर पर फोन करें।

गवाह बनना

आपको गवाह के रूप में बुलाया जा सकता है। गवाह बनना एक तनावपूर्ण अनुभव हो सकता है। प्रोसिक्यूटर, इंचार्ज पुलिस अधिकारी और आपके यौन हिंसा पीड़ित सलाहकार आपको बता सकते हैं कि इसमें क्या शामिल है और आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं।

कोर्ट (अदालत) के सामने

इंचार्ज पुलिस अधिकारी या यौन हिंसा पीड़ित सलाहकार आपको बतायेंगे कि आपको अदालत में कब और कहाँ हाजिर होना है। आपको घर पर एक सरकारी नोटिस डिलीवर किया जाएगा।

प्रोसिक्यूटर आपसे इस बारे में बात करेंगे कि गवाह के रूप में आपको क्या करना है। आप समय से पहले कोर्टरूम को जाकर देखने के लिए पूछ सकते हैं। इसका प्रबन्ध करने के लिए अपने सैक्सुअल वायलैंस विक्टिम एडवाइज़र, इंचार्ज पुलिस अधिकारी या सहायता कर्मचारी से बात करें।

यदि आप निम्नलिखित का प्रबन्ध करना चाहते हैं तो अपने सैक्सुअल वायलैंस विक्टिम एडवाइज़र या इंचार्ज पुलिस अधिकारी से बात करें:

- अदालत से बाहर आपसे किसी को मिलने के लिए
- गवाही देते समय अपने साथ बैठने के लिए एक सहायक व्यक्ति
- एक स्क्रीन या क्लोज़्ड सरकिट टीवी, ताकि गवाही देते समय आपको अभियुक्त को देखना न पड़े (यदि उपलब्ध हो तो)।

अदालत में

जब आप गवाही देंगे तो कोर्ट एक ‘क्लोज्ड (सीमित)’ कोर्ट होगा। इसका मतलब है कि जनता के सदस्य वहाँ उपस्थित नहीं हो सकते। आपसे क्या हुआ या अपराध के बारे में आप क्या जानते हैं, इस विषय में सवाल पूछे जायेंगे।

ज्यादातर अदालतों में गवाह के रूप में बुलाए गए लोगों को इंतजार करने के लिए अलग इलाके होते हैं, परन्तु ऐसा संभव है कि आप अभियुक्त के परिवार और मित्रों को अदालत के आस-पास देखें।

यह महत्वपूर्ण है कि आप जब गवाह बनते हैं, तो उस दिन से पहले और बाद में आपको सहायता उपलब्ध हो। अपने सैक्सुअल वायलैंस विक्टिम एडवाइज़र या सहायक कर्मचारी से अपने लिए उपयुक्त सहायता प्राप्त करने के लिए बात करें।

फैसला और सजा

ट्रायल के अन्त में, अभियुक्त या तो दोषी पाया जाएगा या निर्दोष। कुछ केसों में जब ज्यूरी निर्णय पर नहीं पहुँचती, तो दूसरी ट्रायल हो सकती है।

अगर अभियुक्त को निर्दोष पाया जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप पर विश्वास नहीं किया गया था। केस कानून और सबूतों की बात पर निर्भर होते हैं। एक बार अभियुक्त को जब निर्दोष पाया जाता है तो वे बाहर जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह आप के लिए अप्रत्याशित हो सकता है और हो सकता है आप इसके बारे में अपने सैक्सुअल वायलैंस विक्टिम सलाहकार या सहायता कार्यकर्ता के साथ बात करना चाहें।

अगर अभियुक्त को दोषी पाया जाता है, तो उन्हें उसी दिन सजा सुनाई जा सकती है या सजा की सुनवाई की तारीख निर्धारित की जायेगी।

रिस्टोरेटिव जस्टिस (मजबूत करने वाला न्याय)

रिस्टोरेटिव जस्टिस कॉन्फ्रेंस एक पीड़ित, अपराधी, सहायक व्यक्तियों और कोई अन्य स्वीकृत व्यक्तियो जैसे कि समुदाय के प्रतिनिधियों या दुभाषियों के बीच एक अनौपचारिक सुविधाजनक मीटिंग को कहा जाता है।

रिस्टोरेटिव जस्टिस की मदद से पीड़ित अपराधी को यह बता सकते हैं कि उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, वे नुकसान की मरम्मत के लिए क्या कर सकते हैं इस बारे में अपने विचार दे सकते हैं, और अपराध के कुछ प्रभावों पर समाधान का काम शुरू कर सकते हैं।

आपके केस पर रिस्टोरेटिव जस्टिस का विचार करने के लिए यह जरूरी है कि अपराधी को दोषी पाया जाए या उसने अपराध के लिए स्वयं को दोषी कबूल कर लिया हो, और आप दोनों उसमें भाग लेने के लिए तैयार हैं।

यदि आप रिस्टोरेटिव जस्टिस के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो अपने सैक्सुअल वायलैंस विक्टिम एडवाइज़र से पूछें या justice.govt.nz/restorative-justice वेबसाइट पर जाएं।

सजा

कानून द्वारा जज से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कई तत्वों पर विचार करें, जैसे कि अन्य समान अपराधों के लिए क्या सजा दी जा चुकी हैं और अपराधी के बारे में रिपोर्टें।

यदि जज सहमत हों, तो आप (या आपके द्वारा चुना गया कोई अन्य व्यक्ति) अदालत में सजा की सुनवाई के समय अपने सारे विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट को या उसके कुछ हिस्सों को पढ़ सकते हैं। अपने सैक्सुअल वायलैंस विक्टिम एडवाइज़र या इंचार्ज अधिकारी से अपनी ओर से पूछने के लिए कहें। अपराधी को सजा देते समय जज द्वारा आपके विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट पर विचार किया जाना जरूरी है।

रेपरेशन (क्षतिपूर्ति)

अगर अपराध के कारण आपकी कोई हानि हुई थी या आपकी संपत्ति खो गई थी या उसका नुकसान हुआ था, तो जज कभी-कभी अपराधी से आपको पैसा देने के लिए कह सकते हैं, जिसे रेपरेशन (क्षतिपूर्ति) कहा जाता है। अपनी क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने के सबसे अच्छे तरीके का प्रबन्ध करने के लिए आप अदालत को 0800 909 909 नम्बर पर फोन कर सकते हैं।

अपील

प्रोसिक्यूटर और अपराधी दोनों को फैसले और सजा पर अपील करने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि हाई कोर्ट केस पर दुबारा से विचार करता है। यदि ऐसा होता है, तो प्रोसिक्यूटर आपको उस प्रक्रिया के बारे में बतायेंगे।

कोर्ट के बाद

एक बार दोषी पाए जाने पर, अपराधी को सजा दी जायेगी। सजा को समझना हमेशा आसान नहीं होता। आपके केस के इंचार्ज पुलिस अधिकारी या आपके यौन हिंसा विक्टिम एडवाइज़र आपको समझायेंगे कि उस सजा का अर्थ क्या है।

जेल से रिहाई

अपराधियों को जेल से या तो पैरोल पर या फिर उनकी सजा समाप्त होने पर रिहा किया जाता है। ऐसा आपकी अपेक्षा से पहले हो सकता है, क्योंकि दोषी पाए जाने और सजा दिए जाने से पहले हिरासत में बिताये गए समय को उनकी सजा के हिस्से के रूप में गिना जाता है।

अगर अपराधी की सजा समाप्त हो जाती है, तो उनको जेल से रिहा किया जाना जरूरी है। उनकी सजा समाप्त होने के बाद उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता।

अपराधी को अगर पैरोल की अनुमति दी जाती है तो उन्हें जेल से उनकी सजा समाप्त होने से पहले रिहा किया जा सकता है। न्यूज़ीलैंड पैरोल बोर्ड अधिकतर केसों पर विचार करेगा और इस बात पर निर्णय करेगा कि अपराधी की जल्दी रिहाई से कहीं समुदाय की सुरक्षा को अनुचित खतरा तो नहीं होगा।

अपराधियों को पैरोल पर रिहा करने के बाद अक्सर कम से कम पहले छह महीनों के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। इन शर्तों को पैरोल बोर्ड या अपराधी को सजा देने वाले जज द्वारा नियत किया जाता है। इन शर्तों में वे कहाँ निवास कर सकते हैं, किससे सम्पर्क कर सकते हैं, उन पर कर्फ्यू लगाया जाए या नहीं और अन्य तत्व शामिल हो सकते हैं जो समुदाय की रक्षा करने में सहायक हो सकते हैं।

आप पैरोल बोर्ड को बता सकते हैं कि अपराधी की रिहाई के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं।

अपराधी की जेल से जल्दी रिहाई के बारे में अपना मत देने के लिए, आपका विक्टिम नोटिफिकेशन रजिस्टर में दर्ज होना जरूरी है ताकि जब भी अपराधी पैरोल बोर्ड की सुनवाई के लिए जाए तो पैरोल बोर्ड आपसे संपर्क कर सके।

यह सुनिश्चित करेने के लिए कि रजिस्टर में आपका सम्पर्क ब्यौरा अप-टू-डेट (नवीनतम) है, पुलिस, डिपार्टमैंट ऑफ कॅरेक्शन्स या अपनी सहायता एजेंसी से सम्पर्क करें।

आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस बारे में आप पैरोल बोर्ड को लिखित रूप से, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा या व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं:

- **लिखित रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा।**
  अपने पैरोल बोर्ड सम्पर्क व्यक्ति से बात करें।
- **व्यक्तिगत रूप से।**
  पैरोल बोर्ड आपके साथ मुलाकात करेंगे। आप उन लोगों से बात करेंगे जो अपराधी से भी मुलाकात करेंगे, परन्तु आप जिस सुनवाई में उपस्थित होंगे वह जेल में नहीं होगी और अपराधी उसमें शामिल नहीं होगा। आप सुनवाई में सहायक व्यक्तियों को अपने साथ रख सकते हैं।

मुख्य सम्पर्क

आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के चाहे किसी भी चरण पर हों, आपके लिए सहायता उपलब्ध है, और अपराध के प्रभावों का सामना करने के लिए व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध है।

पीड़ितों और अपराध से प्रभावित लोगों के लिए कुछ मुख्य सेवाओं का सम्पर्क ब्यौरा यहाँ दिया गया है। इन सेवाओं के बारे में आप अधिक जानकारी विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाईन को 0800 650 654 पर (सोमवार से शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक) फोन करके या victimsinfo.govt.nz वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

एसीसी
acc.co.nz
0800 735 566 सैंसिटिव क्लेम्स हैल्पलाईन
(यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए)

डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन्स
04 460 3000
corrections.govt.nz

न्यूज़ीलैंड पैरोल बोर्ड
0800 PAROLE (727 653)
paroleboard.govt.nz

व्यक्तिगत सहायता
victimsinfo.govt.nz या फोन पुस्तिका में व्यक्तिगत सहायता सेवाएं अनुभाग को देखें।

पुलिस
आप अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन को police.govt.nz पर या फोन पुस्तिका के शुरू में नीले पृष्ठों में ढूंढ सकते हैं।

सैक्सुअल वायलेंस विक्टिम एडवाइज़र्स (यौन हिंसा पीड़ित सलाहकार) और कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र्स (अदालत पीड़ित सलाहकार)
0800 650 654 विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाईन

विक्टिम सपोर्ट
0800 VICTIM (842 846) दिन के 24 घंटे
victimsupport.org.nz

वूमैन्स रिफ्यूज़ (महिला शरणस्थल)
0800 REFUGE (733 843) दिन के 24 घंटे
womensrefuge.org.nz

लैंग्वेज़ लाईन अनुवाद सेवाएं
0800 656 656
सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, शनिवार सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक

शब्दावली

जमानत
जब अपराध के लिए चार्ज किए गए व्यक्ति को पुलिस द्वारा इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वह अदालत में उपस्थित हो।

डिफेन्डेन्ट (अभियुक्त)
अपराध का आरोप लगाया गया व्यक्ति।

होमिसाइड (नर-हत्या)
जब एक व्यक्ति की हत्या दूसरे व्यक्ति द्वारा की जाती है।

अपराधी
अपराध का दोषी पाया गया व्यक्ति (दोषी पाए जाने से पहले, अपराध के लिए मार्च किए गए व्यक्ति को 'डिफेन्डेन्ट' या अभियुक्त कहा जाता है।)

पैरोल
जब अपराधी को उनकी सजा पूरी कर लेने के बाद जेल से बाहर समुदाय में रिहा कर दिया जाता है। उनके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी है।

रिस्टोरेटिव जस्टिस (मज़बूत करने वाला न्याय)
रिस्टोरेटिव जस्टिस की मदद से पीड़ित अपराधी को यह बता सकते हैं कि उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, वे नुकसान की मरम्मत के लिए क्या कर सकते हैं इस बारे में अपने विचार दे सकते हैं, और अपराध के कुछ प्रभावों पर समाधान का काम शुरू कर सकते हैं। इस मीटिंग को रिस्टोरेटिव जस्टिस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है।

गंभीर अपराध
- एक यौन प्रकृति या अन्य गंभीर आक्रमण का अपराध।
- एक ऐसा अपराध जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोट लगी हो या किसी की मृत्यु हुई हो।
- एक ऐसा अपराध जिसके कारण पीड़ित को अपनी सुरक्षा या अपने नज़दीकी परिवार के एक या अधिक सदस्य की सुरक्षा के बारे में लगातार आशंका हो रही हो।

सैक्सुएल वॉयलेंस विक्टिम एडवाइज़र (यौन हिंसा पीड़ित सलाहकार)
न्याय मंत्रालय का कर्मचारी जो यौन हिंसा से साथ काम करने में प्रशिक्षित एवं अनुभवी है। वे अदालत की प्रणाली को स्पष्ट कर सकते हैं और पीड़ितों को उनके केस की प्रगति के बारे में सूचित रखते हैं।

विक्टिम नोटिफिकेशन रजिस्टर (पीड़ित चेतावनी रजिस्टर)
एक गोपनीय सूची जिसका प्रयोग क्रिमिनल जस्टिस (दण्ड-न्याय) एजेंसियां पीड़ितों को अपराधी के बारे में सूचित करने के लिए कर सकती हैं, जैसे कि अदालत की प्रणाली के दौरान केस कहाँ पर है, अगर उनकी जेल से अस्थायी रिहाई हो रही है और अपराधी पैरोल के लिए जा रहा है।

केस इंचार्ज पुलिस अधिकारी के पास अपने ब्यौरे को रजिस्टर करें।

विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट (पीड़ित प्रभाव कथन)
इस बात का रिकॉर्ड कि अपराध ने पीड़ित को किस प्रकार से प्रभावित किया है। विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट आमतौर पर लिखित रूप में होता है, परन्तु इसमें फोटो, चित्र या कविताओं को शामिल किया जा सकता है। यह जरूरी है कि अभियुक्त को सजा देते समय जज द्वारा इस पर विचार किया जाए। पीड़ित व्यक्ति सजा सुनाने से पहले कथन को अदालत में पढ़ सकते हैं।

कोर्टरूम

इस डॉयग्राम (नक्शे) में कोर्टरूम के नक्शे का एक उदाहरण और आपको कौन-कौन दिखाई दे सकता है, यह दिखाया गया है।

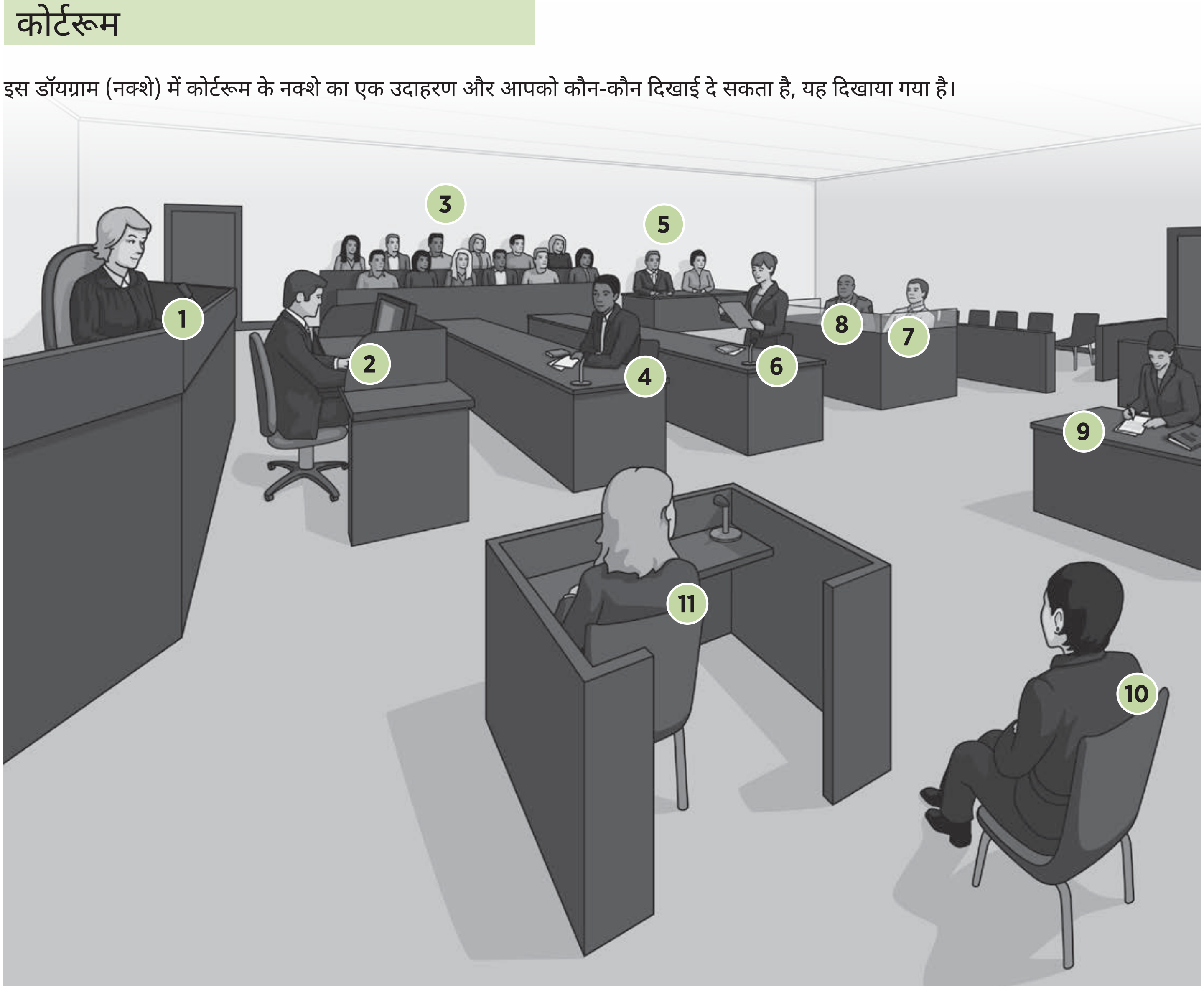

1. **जज** अदालत के इंचार्ज या प्रभारी हैं। वे इस बात का निर्णय करते है कि अभियुक्त दोषी है या नहीं, अगर ज्यूरी होती है तो उनकी जगह ज्यूरी इसका निर्णय लेगी।
2. **रजिस्ट्रार** जज की सहायता करते हैं तथा यह निश्चित करते हैं कि अदालत की प्रणाली का पालन किया जाए।
3. **ज्यूरी** 12 लोगों को मिलाकर बनाई जाती है जो यह निर्णय लेते हैं कि अभियुक्त दोषी है या नहीं।
4. **प्रोसिक्यूटर (अभियोक्ता)** सरकार की ओर से केस लेते हैं तथा उनका उद्देश्य होता है अभियुक्त के खिलाफ केस प्रस्तुत करना ।
5. **मीडिया** पत्रकार होते हैं जो केस के बारे में रिपोर्ट करते हैं।
6. **डिफेन्डेन्ट (अभियुक्त) का वकील** अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करता है।
7. **अभियुक्त** वह व्यक्ति होता है जिस पर अभियोग लगाया जाता है।
8. **प्रिज़नर्स एस्कोर्ट (कैदी के साथ जाने वाला व्यक्ति)** अभियुक्त के साथ जाता है।
9. **सैक्सुअल वायलैंस विक्टिम एजवाइज़र (यौन हिंसा पीड़ित सलाहकार)** गवाह की अदालत की प्रणाली को समझने में सहायता करता है। यह जरूरी नहीं है कि वे हमेशा अदालत में उपस्थित हों।
10. **विटनेस सपोर्ट परसन (गवाहों का सहायक व्यक्ति)** वह व्यक्ति जिसे जज ने अदालत में गवाह को सहारा देने की अनुमति दी है।
11. **विटनेस (गवाह)** जो कुछ हुआ उसके बारे में या वे अपराध के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसके बारे में गवाही देते हैं।